भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2017

संख्या प. 2 (48) विधि/2/2017 :-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 38)

{राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 नवम्बर, 2017 को प्राप्त हुई}

पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए राज्य में की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण की नीति राजस्थान राज्य में बहुत लम्बे समय से क्रियान्वित की जा रही है;

और यतः, कई वर्षों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीडित राजस्थान की जनसंख्या के एक बहुत बड़े प्रतिशत ने आरक्षण नीति का लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया है और वे अपनी दशा में सुधार तथा उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं;

और यतः, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को कई बार सिफारिश की है कि कतिपय पिछड़े वर्ग यथा बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देवासी, गडरिया/गाडरी/गायरी अत्यधिक पिछड़े हैं और उनके त्वरित शैक्षिक और सामाजिक प्रोन्नति के लिए विशेष सावधानी और संरक्षण की आवश्यकता है;

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 38 के खण्ड (1) के अधीन राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा;

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 38 के खण्ड (2) के अधीन राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठासुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा;

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा;

और यतः, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा समय-समय पर की गयी सिफारिशों को देखते हुए यह समीचीन है कि पिछड़े वर्गों में अत्यधिक पिछड़े वर्गों यथा बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/ गाडरी/ गायरी को अति पिछड़े वर्ग के रूप में एक

पृथक् प्रवर्ग के रूप में पिछड़े वर्गों के भीतर वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनके त्वरित शैक्षिक और सामाजिक प्रोन्नति के लिए विशेष सावधानी और संरक्षण दिया जाना चाहिए।

अतः अब, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "पिछड़ा वर्ग" से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं. 12) में यथा परिभाषित पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 4) की धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''क्रीमीलेयर" से अति पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों का ऐसा वर्ग अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचित करे;

(घ) "अति पिछड़ा वर्ग" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य के अधीन सेवाओं" से राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाएं और पद अभिप्रेत हैं और इसमें सम्मिलित हैं-

(i)किसी भी स्थानीय प्राधिकारी में की सेवाएं और पद;

(ii) राज्य सरकार के पूर्ण या सारवान् स्वामित्व या नियंत्रण में के अधीन किसी भी निगम या कम्पनी में की सेवाएं और पद;

(iii) राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित और राज्य द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्त-पोषित किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय में की सेवाएं और पद; और

(iv) ऐसी सेवाएं और पद जिनके संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकारी आदेश से आरक्षण लागू था और जो उप-खण्ड (i) से (iii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

3. राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण.–[1]"(1)अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विहित किये जायें, प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।"।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति, राज्य की किसी भी शैक्षिक संस्था में सीटों के आरक्षित कोटे के विरुद्ध विचार में लिये जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण.-[2]"(1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।"।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति, राज्य के अधीन नियुक्तियों और पदों में आरक्षित कोटे के विरुद्ध विचार में लिये जाने के पात्र नहीं होंगे।

5. कतिपय मामलों में कोई आरक्षण नहीं होना.– धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित पदों के संबंध में कोई आरक्षण नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) स्थानान्तरण, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति से भरे जानेवाले पद; और

(ख) वह पद, जो किसी भी संवर्ग या ग्रेड में एक (एकल) है।

6. नियम बनाने की शक्ति.– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उक्त नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

7. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.– (1) राज्य सरकार, आयोग के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किसी प्रविष्टि को जोड़ सकेगी, संशोधित कर सकेगी या हटा सकेगी और ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से, अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी और धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंध ऐसी अधिसूचना पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

---

1 राजस्थान राजपत्र, भाग 4(क) में दिनांक 13-02-2019 को प्रकाशित राजस्थान का 2019 का अधिनियम संख्यांक 2 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।

2 राजस्थान राजपत्र, भाग 4(क) में दिनांक 13-02-2019 को प्रकाशित राजस्थान का 2019 का अधिनियम संख्यांक 2 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।

8. कठिनाइयों का निराकरण.– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

9. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.– इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

[1]**"10. अधिनियम अन्य विधियों का अल्पीकरण नहीं करेगा.–** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगी।"।

11. निरसन और व्यावृत्ति.– (1) राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 32) इसके द्वारा निरसित किया जाता है और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम स. 8) के उपबंध ऐसे निरसन पर लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम की कोई भी बात, राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किये गये किन्हीं भी आदेशों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2(च) देखिए)

क्र.सं.	वर्ग
1.	बंजारा, बालदिया, लबाना।
2.	गाड़िया लोहार, गाडोलिया।
3.	गूजर, गुर्जर।
4.	राईका, रैबारी, देबासी।
5.	गडरिया, गाडरी, गायरी।

---

1 राजस्थान राजपत्र, भाग 4(क) में दिनांक 15-03-2018 को प्रकाशित राजस्थान का 2018 का अधिनियम संख्यांक 3 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।